



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म0प्र0)

ईमेल:- deanratlam@gmail.com वेबसाईट :- www.gmcratlam.org कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226 पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN - SAVE LIFE

अंगदान करें - जीवन बचाएँ

क्रमांक : 3687/स्था./जी.एम.सी./2021

रतलाम, दिनांक :- 30/4/21


// विज्ञप्ति सूचना पत्र //

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक संवर्ग आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन स्वीकृत गैर-शैक्षणिक के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से तैयार की जानी है। निम्न पदों पर आवेदन का प्रारूप एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in पर ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की अंतिम दिनांक समय रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन किये जा सकेंगे। मध्यप्रदेश शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति रतलाम हेतु निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु पद नाम, पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता आगे वर्णित है

:-

सीधी भर्ती :- चिकित्सा अभिलेख अधिकारी - कुल पद- 01

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	1	0	0	0	1	

 29/4/2021

DEAN
Government Medical College
Ratlam (M.P.)

सीधी भर्ती :- मेडिकल सोशल वर्कर - कुल पद - 02


स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	1	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	2	0	0	0	2	

सीधी भर्ती :- सहायक सांख्यिकी अधिकारी- कुल पद -01

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	1	0	0	0	1	

सीधी भर्ती :- साइकेट्रिक सोशल वर्कर - कुल पद -01

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	1	0	0	0	1	


 29/4/2024
 DEAN
 Government Medical College
 Raigarh (M.P.)

सीधी भर्ती :- स्टेनोग्राफर – कुल पद -01

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	1	0	0	0	1	

सीधी भर्ती :- कोडिंग क्लर्क – कुल पद -02

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	1	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	2	0	0	0	2	

सीधी भर्ती :- असिस्टेंट लाइब्रेरियन – कुल पद -01

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	1	0	0	0	1	


29/4/2024

सीधी भर्ती :-कैटलॉगर- कुल पद - 01


स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	1	0	0	0	1	

सीधी भर्ती :- रिकार्ड क्लर्क - कुल पद - 02

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	1	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	2	0	0	0	2	

सीधी भर्ती :- स्टेनो टाइपिस्ट - कुल पद -02

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	1	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	2	0	0	0	2	


 29/4/2021
 DEAN -
 Government Medical College
 Raigarh (M.P.)

सीधी भर्ती :- डाक्यूमेन्ट लिस्ट- कुल पद - 01


स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	1	0	0	0	1	

सीधी भर्ती :- सहायक ग्रेड = 03 - कुल पद - 6

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	2	1	0	0	3	निरंक
2	अनुसूचित जाति	1	0	0	0	1	
3	अनुसूचित जनजाति	1	0	0	0	1	
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	1	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	5	1	0	0	6	

सीधी भर्ती :- सहायक ग्रेड - 03 - कुल पद - 02 (संविदा कर्मचारियों हेतु 20 प्रतिशत आरक्षित)

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	1	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	2	0	0	0	2	


 24/4/2021
 DEAN
 Government Medical College
 Raikam (M.P.)

सीधी भर्ती :- भृत्य - कुल पद - 04


स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	1	1	0	0	2	निरंक
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति	1	0	0	0	1	
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	1	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	
	योग	3	1	0	0	4	

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

स. क्र.	पद का नाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं
1	चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-12 में न्यूनतम वेतन रु. 56100/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ संस्था में चिकित्सा अभिलेख/तकनीकी में 01 वर्ष का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2	मेडिकल सोशल वर्कर	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-8 में न्यूनतम वेतन रु. 32800/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस. डब्ल्यू उपाधि।
3	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-8 में न्यूनतम वेतन रु. 32800/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/ गणित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
4	सायकेट्रीक सोशल वर्कर	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-7 में न्यूनतम वेतन रु. 28700/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
5	स्टेनोग्राफर	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-7 में न्यूनतम वेतन रु. 28700/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण -पत्र हो। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा परिषद् से अग्रंजी अथवा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र। 4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा आवश्यकतानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य।

29/4/2021
 DEAN
 Government Medical College
 Raigarh (M.P.)

6	कोडिंग क्लर्क	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-6 में न्यूनतम वेतन रु. 25300/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण-पत्र हो। 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण। 4. मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय में 01 वर्ष का कोडिंग कार्य का अनुभव अनिवार्य।
7	असिस्टेंट लायब्रेरियन	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-5 में न्यूनतम वेतन रु. 22100/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लायब्रेरी साईंस में स्नातक उपाधि।
8	कैटलॉगर	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-5 में न्यूनतम वेतन रु. 22100/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लायब्रेरी साईंस में स्नातक उपाधि।
9	रिकार्ड क्लर्क	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-4 में न्यूनतम वेतन रु. 19500/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण-पत्र हो। 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण।
10	स्टेनो टाईपिस्ट	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-4 में न्यूनतम वेतन रु. 19500/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण-पत्र हो। 3. सामान्य प्रशासन द्वारा समय-समय पर यथामान्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र। 4. सी.पी.सी.टी. परीक्षा आवश्यकतानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
11	डाक्यूमेंट लिस्ट	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-4 में न्यूनतम वेतन रु. 19500/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण-पत्र हो। 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण।
12	सहायक ग्रेड-3	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-4 में न्यूनतम वेतन रु. 19500/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण-पत्र हो। 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण।
13	भृत्य	सातवें वेतनमान में वेतन लेवल-1 में न्यूनतम वेतन रु. 15500/- तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय भत्ते	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण


29/4/2021

DEAN
Government Medical College
Raipur (M.P.)

2. आरक्षण :-

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हों।
4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/अ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम-4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अन्तर्गत "4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध" में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।
5. दिव्यांगजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8-4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितम्बर 2018 अनुसार रहेगा।
6. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों (केवल महिला) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितम्बर 2012 के अनुसार रहेगा।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।
8. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

3. आयु सीमा:-

1. अनारक्षित वर्ग हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय /निगम/मण्डल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक /निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)


नोट:- आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

4. सामान्य शर्त:-

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।


29/4/2024
DEAN
Government Medical College
Ratlam (M.P.)

3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियुक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वरथ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वरथता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
6. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में मान्य होगा।
9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
10. वैवाहिक स्थिति – एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होगी।
12. संविदा अवधि अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य की जावेगी।
13. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
14. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, संविदा अधिकारी/कर्मचारियों का आशय है कि वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-
 - 14.1 प्रत्येक विभाग के भर्ती किये जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पर संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के लिये आरक्षित रहेगें किन्तु इस नीति के अन्तर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।


 Dean,
 Govt Medical College,
 Ratlam (M.P.)

14.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-

- 14.3 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदन न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्ति रहा हो 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 14.4 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वंछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
- 14.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदापर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।
- 14.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा वर्ष सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
- 14.7 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाए।
- 14.8 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 14.9 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।
- 14.10 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। इसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है। उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
15. जो उम्मीदवार 01 से अधिक पद के लिये अर्हताएं रखते हैं, को 01 से अधिक पदों हेतु 01 ही आवेदन किया जाना होगा।

5. अनहर्ताएं :-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) किया हो या कराया हो या
2. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
3. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या


Government Medical College
Rattam (M.P.)

4. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
5. साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या
6. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-

अ. महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।

स. किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

7. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

6. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्न लिखित प्रमाण पत्र आवश्यक है:-


1. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
2. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र।

7. गैर शैक्षणिक संवर्ग के पद पर आवेदन संबंधी समय तालिका:-

क्रमांक	गतिविधि	तारीख
1	आनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	
2	आनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	
3	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	
4	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	

उपरोक्त तिथियाँ चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकती हैं।

एम.पी. ऑनलाईन तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी त्रुटि सुधार की अंतिम दिनांक तक संबंधित त्रुटि को एम.पी.ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क 50 रुपये तथा जी.एस.टी. जमा कर सुधार कर सकेंगे। परंतु इसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।


 Dean
 Govt Medical College
 Ratlam (M.P.)

8. आवेदन शुल्क:-

अनारक्षित वर्ग हेतु 1000/- (एक हजार रुपये) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 800/- (आठ सौ रुपये) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये 900/- (नौ सौ रुपये) राशि ऑनलाईन जमा होगी।

9. आवेदन कैसे करे :-

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियाँ उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है :-
 1. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट / सर्टिफिकेट / जन्म प्रमाण पत्र
 2. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री / डिप्लोमा / फाइनल ईयर की मार्कशीट।
 3. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
 4. उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
 5. 12 वीं कक्षा की अंकसूची।
 6. जाति प्रमाण पत्र।

प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।

4. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी
आवेदनपत्र एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in पर दिये गये लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाईन मध्यप्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्को के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in पर Authorised Kiosk list link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाईन फार्म भर सकते हैं।
5. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-
 - आवेदक एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवाएं ऑप्शन पर क्लिक करें फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के लोगो पर क्लिक कर एप्लिकेशन एंड सर्विसेज ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिये दी हुई लिंक पर क्लिक करें।
 - आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी.ऑनलाइन www.mponline.gov.in के माध्यम से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की वेबसाइट www.gmcratlam.org पर दिये गये लिंक से दी गई जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ें इसके उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करने के लिये फार्म पर क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। जिसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपका कर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फारमेट को स्कैन कर .jpg 200 KB size or minimum) फारमेट में ही सेव करें। अब आवेदक


Dean
Govt Medical College,
Raipur (M.P.)

Browse बटन पर क्लिक करे इसके उपरांत जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

- आवेदक ऑनलाईन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ले और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर ले इसके उपरांत Submit बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।


अ. क्रेडिट / डेबिटकार्ड ब. इंटरनेट बैंकिंग

अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:- आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed To payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांसेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखे।

ब. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:- आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत Proceed to payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लाग-इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिन्ट अवश्य लें।

6. एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग-इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग-इन करेगा। इसके उपरान्त सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियाँ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी समस्त जानकारियां फार्म में सही से भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक ऑनलाईन फार्म में भरी हुई समस्त जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को Proceed to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराईज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा अपने पास संभाल कर रखें।


Dean,
Govt Medical College,
Ratiem (M.P.)

7. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक को होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जा सकेगी।
8. यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid application लिंक द्वारा परीक्षा का शुल्क नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।
9. इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गए बिन्दु में दर्शायी गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एम.पी.ऑनलाईन पर अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid application में उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटरआईज्ड रसीद प्रदान करेगा इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभाल कर रखें। ऑनलाईन पैमेन्ट करने पर, यदि पैमेन्ट रिजेक्ट हो जाता है तो/पैमेन्ट रसीद जनरेट नहीं हो रही तो तत्काल पुनः पैमेन्ट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें। पैमेन्ट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जावेगा।


ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी.ऑनलाईन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट :- यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गए दूरभाष नम्बर पर तत्काल सम्पर्क करे एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी.ऑनलाईन के होमपेज सम्पर्क करें में क्लिक करे तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड तीसरा फ्लोर स्टेट आई.टी.पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गाँधी नगर भोपाल - 462033, फोन :- 0755-6720200/0755-6720222 पर संपर्क करें।

10. महत्वपूर्ण टीप :-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे एम.पी.ऑनलाईन/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की वेबसाईट www.gmcratlam.org का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में एम.पी.ऑनलाईन/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो उसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। नवीन सूचनाओं हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की वेबसाईट www.gmcratlam.org का अवलोकन निरंतर करते रहें।


 डॉ. जितेन्द्र गुप्ता
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम